



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16042026-271856
CG-DL-W-16042026-271856

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, अप्रैल 5—अप्रैल 11, 2026, शनिवार/चैत्र 15—चैत्र 21, 1948
No. 12] NEW DELHI, APRIL 5—APRIL 11, 2026, SATURDAY/CHAITRA 15—CHAITRA 21, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 87.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अल्कोहल प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अल्कोहल प्रौद्योगिकी), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति-जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अल्कोहल प्रौद्योगिकी)	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (रु. 56,100-1,77,500/-)

चयन या अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष।	सम्मिलित पद्धति द्वारा: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)] / प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाना है

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:

- (अ) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु. 53100-121300) में स्तर -9 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु. 47600-109100) में स्तर -8 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो; या
- (iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900-102800) में स्तर -7 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; या
- (v) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु. 35400-81200) में स्तर -6 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; और
- (आ) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो:

अनिवार्य:

(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक किण्वन और अल्कोहल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के अल्कोहल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; तथा

- (आ) (i) औद्योगिक किण्वन और अल्कोहल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण या अनुसंधान या परामर्श में तीन वर्ष का अनुभव; या
- (ii) पर्यवेक्षीय क्षमता में डिस्टिलरी में कार्य करने का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

बांछनीय:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में पीएचडी या राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (अल्कोहल प्रौद्योगिकी) की फेलोशिप;
- (ii) वैज्ञानिक और तकनीकी रिपोर्टों और समीक्षाओं के प्रारूपण या संपादन का अनुभव।

टिप्पण 1: विभागीय अनुसंधान सहायक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) की वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400 / -) में दस वर्ष की नियमित सेवा होने और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव होने पर, बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए चुना जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) संयुक्त सचिव (शर्करा) या अपर सचिव; (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य; (3) निदेशक/उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 12018/7/2024-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)**

New Delhi, the 2nd April, 2026

G.S.R. 87.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Officer (Alcohol Technology) in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Junior Scientific Officer (Alcohol Technology), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Junior Scientific Officer (Alcohol Technology).	01* (2026) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotee.	By Composite method: [Deputation (including short -term contract)]/Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or the State Governments or Union territories Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 9 (Rs. 53100-121300) in the pay matrix; or (iii) with four years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 8 (Rs. 47600-109100) in the pay matrix; or (iv) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 7 (Rs. 44900-102800) in the pay matrix; or (v) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 6 (Rs. 35400-81200) in the pay matrix; and (B) possessing the educational qualifications and experience as under: Essential: (A). Master's degree in Science or Engineering from a recognised university or institute, with Post-Graduate Diploma in Industrial Fermentation and Alcohol Technology or Post- Graduate Diploma in Alcohol Technology of one year or more duration from a recognised university or institute; and (B). (i) three years experience in teaching or research or advisory experience in the field of Industrial Fermentation and Alcohol Technology; or (ii) three years practical experience of working in a distillery in a supervisory capacity.

Desirable:

(i) PhD in Chemistry from a recognised university or institute or Fellowship of National Sugar Institute (Alcohol Technology);

(ii) experience in drafting or editing of scientific and technological reports and reviews.

Note 1: The departmental Research Assistant (Microbiology) with ten years regular service in pay level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for the appointment; it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Joint Secretary (Sugar) or Additional Secretary; (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Chairman; (2) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member; (3) Director/Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 12018/7/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 88.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के वरिष्ठ यंत्र अभियंता और तकनीकी अधिकारी (यंत्र यांत्रिकी) भर्ती नियम, 2017 को, जहां तक उनका संबंध तकनीकी अधिकारी (यंत्र यांत्रिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में तकनीकी अधिकारी (यंत्र इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, तकनीकी अधिकारी (यंत्र इंजीनियरी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और आने रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
तकनीकी अधिकारी (यंत्र इंजीनियरी)	02* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचित	स्तर 10 (रु. 56,100-1,77,500/-रुपये)

चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यंत्र इंजीनियरी अथवा यंत्र प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी अथवा इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी अथवा विद्युत इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक उपाधि के साथ सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विशेष पेपर के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी के साथ भौतिकी अथवा अनुप्रयुक्त भौतिकी में विज्ञान निष्णात के साथ शिक्षण अथवा अनुसंधान और /अथवा शर्करा उद्योग या प्रतिष्ठित शर्करा अनुसंधान संस्थान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की मरम्मतपूर्व जांच का एक वर्षीय अनुभव।

		टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष नोट: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(2) निदेशक/उप सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	-सदस्य
(3) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	-सदस्य

[फा. सं. ए-12018/8/2010-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2026

G.S.R. 88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in the supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Senior Instrument Engineer and Technical Officer (Instrument Engineering) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Technical Officer (Instrument Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Instrument Engineering) in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Technical Officer (Instrument Engineering), Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Technical Officer (Instrument Engineering)	02* (2026) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group ‘A’ Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10(Rs.56,100-1,77,500/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding thirty -five years. (Relaxable for government servants upto five years’ in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be	(i) Bachelor’s Degree in Instrument Engineering or Instrument Technology or Electronic Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electrical Engineering or Mechanical Engineering from a recognised university or institute with two years’ experience in the relevant field; or (ii) Masters of Science in Physics or Applied Physics with Electronics as a special paper from a recognised university or institute with one year experience of

	determined by Union Public Service Commission.	teaching or research and/ or repair or maintenance or overhauling of various instruments used in sugar industry or sugar research institute of repute. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation period.	By direct recruitment. Note. - The vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 (Rs. 44900-142400/-) in the Pay matrix; and (b)possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Joint Secretary (Sugar) Department of Food and Public Distribution - Chairman (2) Director/Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution. -Member (3) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12018/8/2010-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 89.—सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के धारा - 3 (अप्राधिकृत अधिभोगियोंकी बेदखली) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और एसएमपी-के के हितों की रक्षा हेतु भू-संपदा अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में दिनांक 04.10.2024 को प्रकाशित भारत सरकार के पत्तन, पोतपरिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय(पोर्ट विंग) की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 150 को अधिक्रमित करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) क्रम सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लेखित अधिकारियों, जोहल्दिया गोदी परिसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के अधिकारी हैं तथा भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के दर्जा के समकक्ष अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजन से भू-संपदा अधिकारियों के रूप में नव/पुनः नियुक्त करती है, ये अधिकारी उक्त अधिनियम के तहत अथवा द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करेंगे, तथा उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसर के संबंध में स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने क्षेत्राधिकार में भू-संपदा अधिकारी को सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

तालिका

क्र. सं	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यकाल	अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ
1.	श्री शेख एम. रहमान, वरि. उप प्रबंधक, सामग्री प्रबंधन प्रभाग	अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वे सेवा में रहते हैं, जो भी पहले हो।	हल्दिया/तामलुक उप-मंडल, जिला- पूर्व मिदनापुर, पश्चिम बंगाल तौजी संख्या 34 बी 2 में शामिल निम्नलिखित मौजा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत सभी भू-खंड और परिसर - (i) कुमारचक, दुर्गाचक, खंजनचक, जादवचक, किस्मत धन्यघाटा, बाई धन्यघाटा (भाग-I), तेतुलबेरिया, देभोग, हातीबेरिया, रायरांचक, दक्षिण वैष्णवचक, किशोरपुर, अनारनगर, सदरामचक और (ii) गौरीचक, वृंदावनचक, उत्तर शिसुरामचक, बिजयरामचक, बारकुमारचक, नंदकिशोरचक, जगतचक, पतिखाली, मुरलीचक, चिरंजीवपुर, बार्धन्यघाटा (भाग-II) शंभूरामचक, विरकटचक, भीमरचक, गिलाबेरे, श्यामरायचक, पूर्व राधाबल्लभचक, उत्तरभोलानाथचक, गदाधरचक, सीतारामचक, दक्षिण हुलपाड़ा, दंदुतरचक, प्रंकृष्णाचक, दक्षिण रामचक, गोकुल मिसिरिचक, तारामोनिचक, संदियारचक, सौतनचक, रामरुद्रचक, चकतारायन, बिश्नाथदत्तेरचक, रत्नागुदरचक, ब्रजनाथचक, परियारचक, राचारचक, कारेरचक, रामसुंदेरचक, महाप्रभुचक, बिम्बाधर, पुजारिरचक, चपरासीचक, शीतलारचक, मथुरेशचक, बक्शिरचक, राधाकांतचक, छितन्य मिसिरिचक, पट्टनायक, बरसंदिया, बिष्णुरामचक (सभी पूर्ण रूप से अधिग्रहीत) और (iii) सलुक्खाली, रूपनारायणचक और (iv) केदारपुर, उत्तर चंचिरा, दक्षिण चंचिरा (सभी आंशिक रूप से अधिग्रहीत)
2.	श्री सुब्रत दास, वरि. सहायक प्रबंधक, सामग्री प्रबंधन प्रभाग		
3.	श्री डी. प्रकाश, वरि. सहायक प्रबंधक, संयंत्र एवं उपकरण प्रभाग		
4.	श्री कौस्तव चक्रवर्ती, वरि. सहायक प्रबंधक, आधारभूत संरचना एवं सिविक सुविधा प्रभाग		
5.	श्री राजदीप दे, वरि. सहायक प्रबंधक,		

	आधारभूत संरचना एवं सिविक सुविधा प्रभाग		
6.	श्री अरुण मुखर्जी, वरि.सहायक प्रबंधक, आधारभूत संरचना एवं सिविक सुविधा प्रभाग		
7.	श्री सौम्यदीप बरुआ, वरि.सहायक प्रबंधक, आधारभूत संरचना एवं सिविक सुविधा प्रभाग		
8.	श्री जी. के. प्रजापति, वरि.सहायक प्रबंधक, सामग्री प्रबंधन प्रभाग		

2. इस अधिसूचना के तहत नियुक्त सभी 08 (आठ) भू-सम्पदा अधिकारी सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) के तहत उपरोक्त मौजा के अंतर्गत आने वाले सभी भूमि एवं बिल्डिंग पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ए-12011/4/2019-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

New Delhi, the 2nd April, 2026

G.S.R. 89.—In exercise of the powers conferred by Section – 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in consideration of urgent requirement of Estate Officers for protection of SMPK's interest, in **supersession** of the Government of India, Ministry of Shipping (Port Wings), Notification No. G.S.R. 150 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 04.10.2024, the Central Government hereby freshly/newly appoints the Officers mentioned in Column (1) Sl. Nos.1,2, 3,4,5, 6, 7 &8 of the Table below, being officers of Haldia Dock Complex, Syama Prasad Mookerjee Port Kolkata, equivalent to the rank of Gazetted Officers of the Government of India to be Estate Officers for the purpose of the said Act and the said Officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	Name & Designation of the Officer	Tenure	Limits of Jurisdiction
1.	Shri Sk. M. Rahman , Sr. Dy. Manager, Materials Management Division	For a period of 5 years from the date of Notification or till they remain in service whichever is earlier.	All lands and premises belonging to and under the ownership, control and management of the Syama Prasad Mookerjee Port Kolkata in the following Mouzas of Sub-Division Haldia / Tamluk, District: Purba Midnapore, West Bengal covered by Touzi No. 34 B2- i) Kumarchak, Durgachak, Khanjanchak, Jadavchak, Kismat Dhanyaghata, Bard Dhanyaghata (Part – I), Tetulberia, Debhog, Hatiberia, Rayrayanchak, Dakshin Baisnabchak, Kishorepur, Anarnagar, Sadaramchak and (ii) Gourichak, Brindabanchak, Uttar Sishuramchak, Bijayramchak, Barkumarchak, Nandakishorchak, Jagatchak, Patikhali, Muralichak, Chiranjibpur, Bardhanyaghata, Part (II), Sambhuramchak, Birkatchak, Bhimarchak, Gilabere, Shyamraychak, Purba Radhaballavchak, Uttar Bholanathchak, Gadadharchak, Sitaramchak, Dakshin Hulapara, Dandutterchak, Prankrishnachak, Dakshin Ramchak, Gokul Misirirchak, Taramonichak, Sandiarchak, Sautanchak, Ramrudrachak, Chaktarayan, Bishanathdutterchak, Ratnagudarchak, Brajanathchak, Pariyarchak, Rajarchak, Karerchak, Ramsunderchak, Mahaprabhuchak, Bimbadhar Pujarirchak, Chaprasichak, Sitalarchak, Mathureshchak, Bakshirchak, Radhakantachak, Chhitanya-Misirirchak, Pattanayakchak, Barsandia, Bishnuramchak (all acquired in full) and (iii) Salukkhali, Rupnarayanchak, and (iv) Kedarpur, Uttar Chanchira, Dakshin Chanchira (all acquired in part)
2.	Shri Subrata Das , Senior Assistant Manager, Materials Management Division.		
3.	Shri D Prakash , Senior Assistant Manager, Plant & Equipment Division		
4.	Shri Kaustav Chakraborty , Senior Assistant Manager, Infrastructure & Civic Facilities Division.		
5.	Shri Rajdeep Dey , Senior Assistant Manager, Infrastructure & Civic Facilities Division.		
6.	Sri Arun Mukherjee , Senior Assistant Manager, Infrastructure & Civic Facilities Division.		
7.	Shri Saumyadeep Barua , Senior Assistant Manager, Infrastructure & Civic Facilities Division.		
8.	Shri G K Prajapati , Senior Assistant Manager, Materials Management Division		

2. All the 8 (eight) Estate Officers appointed under this Notification will be able to exercise powers conferred under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants Act, 1971, on all the lands and buildings covered by the above mouzas concurrently.

The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/4/2019-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 90.—सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अधोसूचित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अधिकारी होने के नाते, पूर्व में नियुक्त संपदा अधिकारी के स्थान पर नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त तालिका के कॉलम (3) की तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा संपदा अधिकारी को दिए गए दायित्वों को पूरा करेंगे।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिकार-क्षेत्र की सीमाएं	अवधि
1	श्री आर सतीश, वरिष्ठ उप सचिव	कोचिन पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन के अधीन आने वाले सभी भूमि और परिसर	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे सेवारत हैं, इनमें से जो भी पहले हो।
2	श्री सुधीर जे सावंत, अधीक्षण अभियंता (सिविल)	कोचिन पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन के अधीन आने वाले सभी भूमि और परिसर	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे सेवारत हैं, इनमें से जो भी पहले हो।
3	श्री दीक्षित, अधीक्षण अभियंता (यांत्रिकी)	कोचिन पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन के अधीन आने वाले सभी भूमि और परिसर	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे सेवारत हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

2. इस अधिसूचना के तहत नियुक्त सभी 03 (तीन) भू-सम्पदा अधिकारी सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) के तहत उपरोक्त मौजा के अंतर्गत आने वाले सभी भूमि एवं बिल्डिंग पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

उक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ए- -12011/4/2019-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2026

G.S.R. 90.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column (2) of the Table below, being officers of the Cochin Port Authority to be the Estate Officers for the purpose of the said Act in addition to and not in supersession of the Estate Officer previously appointed, and the said Officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the "Estate Officer" by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said table:

Sl. No.	Name & Designation of the Officer	Limits of Jurisdiction	Tenure
1	Shri. R Satish, Sr. Dy Secretary	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Cochin Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
2	Shri. Sudhir J Sawant, Superintending Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Cochin Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier

3	Shri. Deekshith, Superintending Engineer (Mechanical)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Cochin Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
---	---	--	--

2. All the 3 three) Estate Officers appointed under this Notification will be able to exercise powers conferred under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants Act, 1971, on all the lands and buildings covered by the above mouzas concurrently.

The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/4/2019-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.